46

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 468–तीन/2014 . – विरूद्ध – आदेश दिनांक – 27–1–2014 – पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ – प्रकरण कमांक 89/2012–13 अपील

उमाशॅकर सोनी पुत्र मानू सोनी
ग्राम दिगोडा तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– राजेश पुत्र रामसहाय खॅगार
2– राजवीर पुत्र रामसहाय खॅगार
3– श्रीमती रामदेवी पत्नि स्व.रामसहाय खॅगार
4– काशीराम पुत्र छक्कीलाल खॅगार
5– रमेश पुत्र छक्कीलाल खॅगाद
6– श्रीमती मानकुॅवर पत्नि स्व.रामगोपाल खंगार
7– कु0पूजा पुत्री स्व. रामगोपाल खॅगार
अवयस्क संरक्षक माता मानकुॅवर
सभी निवासी ग्राम दिगौड़ा तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री कुॅअर सिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 5–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ़ द्वारा

प्रकरण कमांक 89/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-1-14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार जतारा ने ग्राम ढिगोड़ा खास की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 12 पर पटवारी द्वारा की गई प्रविष्टि दिनांक 1-9-93 अनुसार उभय पक्ष के बीच आदेश दिनांक 9-9-1993 से बटवारा आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 से 4 ने अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के समक्ष दिनांक 9-3-2013 को अपील प्रस्तुत की एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त आवेदक ने दिनांक 6-1-14 को उपस्थित होकर पक्षकार बनाये जाने वावत् अनुमति आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने प्रकरण कमांक 89/2012-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27-1-14 से आवेदक को केता होने के आधार पर पक्षकार बनाते हुये अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में विचार यह करना है कि अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने प्रकरण कमांक 89/2012-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27-1-14 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? मुन्ना विरूद्ध तुलसी तथा अन्य एक 1994 रा0नि0 302 में बताया गया है कि नामांत्रण पॅजी में बटवारे का आदेश दिया गया जबकि बटवारे का कोई आवेदन नहीं था बटवारा नियम 2,3,6 का पालन नहीं किया गया जिसके कारण ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा

सकती है। अब्दुल लतीफ विरूद्ध निरभेराम 1973 रा0नि0 508 तथा सुख्त विरूद्ध साहेव 1975 रा0नि0 243 में बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने शपथ पत्र के आधार पर निर्णय की तिथि का ज्ञान मानकर विलम्ब क्षमा किया गया जिसे उचित माना गया। इसी प्रकार की स्थिति विचाराधीन प्रकरण में है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी जतारा के प्रकरण कमांक 89/2012-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27-1-14 में लिया गया निर्णय उचित होना पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा प्रकरण कमांक 89/2012-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27-1-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर